न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारीः– कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस))

मुकदमा नम्बर 1/2019 दायर दिनांक 8.11.2019

निर्णय दिनांक 15.02.2021

श्री पर्वतसिंह पुत्र श्री दीपसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ओबरी पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर :–प्रार्थी

बनाम

1 श्री जितेन्द्र पुत्र श्री स्व. जवाहरलाल दवे जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ओबरी त. सागवाडा जिला डूंगरपुर
2 श्रीमति निर्मला पत्नि श्री स्व. जवाहरलाल दवे जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी ओबरी त. सागवाडा जिला डूंगरपुर
3 श्रीमति जलु पुत्री स्व. स्व. जवाहरलाल दवे जाति ब्राम्हण उम्र वयस्क हाल पत्नि श्री अरविन्द पुत्री निर्भयराम जी निवासी ओबरी त. सागवाडा जिला डूंगरपुर
4 श्री ग्राम पंचायत ओबरी जरिए श्री सरपंच ग्राम पंचायत ओबरी पंचायत समिति एवम् तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

:– विपक्षीगण

अर्न्तगत धारा 97(पुनरीक्षण)राज. पंचायती राज अधि.1996

उपस्थितः–

अधिवक्ताः–प्रार्थी की ओर से श्री लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट

अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3 :–श्री प्रवीण शुक्ला एडवोकेट

उपरोक्त प्रकरण माननीय जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर से आदेश दिनांक 8.1.2020 के जरिए स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पुनरीक्षण के आधार पर पटवार हल्का ओबरी त. सागवाडा मे आराजी नम्बर 841 दिनांक 31.3.2006 से पूर्व राज्य सरकार के खाते थी जो दिनांक 31.3. 2006 को विपक्षी नम्बर चार के नाम पर आवंटित हुई और बिलानाम आबादी दर्ज हुई। उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही रहा है। विपक्षीगण सं. एक से तीन श्री जवाहरलाल पितां गणपतराम के वैध वारिसान है। विपक्षी नम्बर चार द्वारा बापी पट्टा नम्बर 34 दिनांक 22.3.2007 के जरिए उनका चालीस वर्ष अधिक समय का कब्जा मानकर गुपचुप तरीके से जारी किया गया है। दिनांक 19.9.2019 को विपक्षी सं. एक पट्टे शुदा भूमि पर निर्माण करने आया जिसका प्रार्थी ने विरोध किया क्योंकि उक्त जमीन प्रार्थी की होकर प्रार्थी का कब्जा होकर उसका टीन शेड के रूप [illegible] पट्टे की नकल प्राप्त करने कार्यवाही की तो रेकार्ड नही [illegible] जाहिर किया गया। बापी पट्टा अवैध जारी किया गया [illegible] कानून [illegible] एवम् अन्य कथनो का वर्णन करते हुए उल्लेख किया [illegible] 34 दिनांक [illegible].2007 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत ओबरी को निरस्त किया जाए। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी के समर्थन मे ग्राम पंचायत ओबरी का पत्र दिनांक 9.10.2019, पट्टे की फोटो प्रति व जमाबंदी की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया।

विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि विपक्षी नम्बर 4 द्वारा जवाहरलाल दवे के नाम पर आराजी नम्बर 841 मे स्थित पूर्व एवम् पश्चिम मे 70 फीट एवम् उत्तर एवम् दक्षिण मे स्थित 64 फीट जमीन का पट्टा सं. 34 बराबर जारी किया गया है तथा उपरोक्त जमीन पर जवाहरलाल का पुराना कच्चा कवेलुपोश मकान स्थित था। प्रार्थी जोर जबरदस्ती विपक्षीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिसको लेकर पुलिस थाना वरदा मे कार्यवाही भी की गई। पट्टे को कानून के अनुसार जारी किया जाना कथन करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी का जमीन मे कोई हित नही है। उसकी निगरानी खारीज की जाए। विपक्षी की ओर से अपने जबाब के साथ पर्वतसिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण की अन्तिम रिपोर्ट, उपखण्ड अधिकारी सागवाडा को लिखे पत्र एवम् प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे समस्त पक्षों के जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस समायत की गई प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्तागण की ओर अपने–अपने जवाब मे किए कथनों को दोहराया गया। प्रकरण मे विचारण के दौरान प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त जमीन का फोटो और नामान्तरकरण की नकल प्रस्तुत की तथा विपक्षीगण की ओर से पट्टे की नकल प्रस्तुत की ।
वकील प्रार्थी और वकील विपक्षी की ओर से अपने पक्ष के संबध मे न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमारे द्वारा सभी पक्षों की बहस को सुना गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतों का घ्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण मे विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी पट्टा निरस्त कराने का अधिकारी है ।

प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत ओबरी के पत्र दिनांक 9.10. 2019 मे उल्लेखित तथ्य की रजिस्टर के क्र.सं. 34/22.3.2007 पर जवाहरलाल का नाम और 200रू.दर्ज है जिससे यह बात प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सं. एक से तीन के पिता जवाहरलाल के नाम पर निगरानी मे अंकित पट्टा जारी किया गया था। यहॉ यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी गण की ओर से जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है उसकी पुश्त पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 5.3.2011 को पट्टे के नवीनीकरण के तथ्य का उल्लेख है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व मे जारी किए गए पट्टे का ही नवीनीकरण करण किया गया [illegible] ही प्रार्थी अधिवक्ता की इस बात मे बल नही पाता [illegible] पर कब्जा हो क्योकि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] कार्यवाही से स्पष्ट है कि विपक्षी निर्मला जो [illegible] की पत्नी है की कार्यवाही पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही अमल मे लाई जाकर निगरानीकर्ता के खिलाफ चालान न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ और यह पाया गया है कि बापी पट्टे की भूमि मे अनाधिकार प्रवेश कर कब्जा हड़पने का निगरानीकर्ता द्वारा प्रयास किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे मेरी विनम्र राय मे बापी पट्टा सं. 34 ग्राम पंचायत ओबरी द्वारा जारी किए जाने को लेकर मैं कोई विधिक अनियमितता नही पाता हूं ऐसी परिस्थिति मे उपरोक्त बापी पट्टे को निरस्त किया जाना उचेत नही पाता हूँ। तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारीज की जाती है ।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.26 10:28:03 IST
Reason: SelfAttested